बिहार सरकार

वाणिज्य—कर विभाग

पत्रांक :— बिक्री कर/विविध—84/2017

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक : 25/09/2018

विषयः— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत दिनांक—01.10.2018 से किसी भी संवेदक अथवा आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान करने के समय स्रोत पर कटौती (TDS) सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा—51 के अधीन टी0डी0एस0 से संबंधित प्रावधान, जो कतिपय कारणों से अब तक स्थगित थे, को दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियाँ या व्यक्तियों की श्रेणी, जिसे परिषद की सिफारिशों द्वारा अधिसूचित किया गया हो, के कर—योग्य मालों या सेवाओं या दोनों की स्थिति में, जहाँ **संविदा या कार्य संविदा के अन्तर्गत आपूर्त्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रूपया से अधिक हो, आपूर्त्तिकर्त्ता को किये गये भुगतान से अर्न्तप्रान्तीय मामलों में 2% IGST एवं प्रान्तीय मामलों में 1% SGST तथा 1% CGST की कटौती किए जाने की अनिवार्यता है।**

2. संवेदक/आपूर्त्तिकर्त्ता को किये जाने वाले भुगतान के समय स्रोत पर कटौती किये जाने हेतु सभी **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को जीएसटी के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त करना आवश्यक है।** जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) ने अभी तक जी0एस0टी0 के अधीन निबंधन प्राप्त नहीं किया है, **वे www.gst.gov.in पर लॉग—इन कर अपना निबंधन करा सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा Form GST REG-07 में ऑनलाईन आवेदन दाखिल करना होगा।** आवेदन दाखिल करते समय **DDO को TAN एवं Digital Signature की आवश्यकता होगी। Digital Signature नहीं रहने की स्थिति में Electronic Verification Code (EVC) के माध्यम से भी निबंधन करवाया जा सकता है।**

3. संवेदक/आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान करते समय स्रोत पर कटौती किये जाने के संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है। **सितम्बर 2018 के अन्तिम सप्ताह में सभी जिला मुख्यालयों में पुनः प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।** DDO द्वारा अपने संबंधित वाणिज्य—कर कार्यालय से प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इस संबंध में आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

आप अवगत हैं कि राज्य के राजस्व हेतु TDS महत्वपूर्ण स्त्रोत है। अतः उल्लेखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है, कि अपने अधीनस्थ सभी संबंधित कार्यालयों को उपरोक्त प्रावधानों से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 2838 पटना, दिनांकः— 25/09/2018

प्रतिलिपि :— सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ०–बजट–विविध–06/2017 3753 /कृ०, पटना, दिनांकः – 24-10- 2018

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार पटना/ निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/बामेति / पी०पी०एम०/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कर्मशाला, पटना/निदेशक, बीज प्रमाणन एजेंसी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), पोस्ट हार्वेस्ट, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (पौ०सं०), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह– नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण/मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना /उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/उप निदेशक (कम्पोस्ट), बिहार, पटना /सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक–सह–संयुक्त नियंत्रक, माप–तौल, पटना/ मुजफ्फरपुर /भागलपुर/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/सभी सहायक कृषि निदेशक–सह–उप नियंत्रक, माप तौल/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को वाणिज्य कर विभाग का पत्रांकः–बिक्री कर/विविध–84/2017–2838 दिनांक–25.09.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3753 /कृ०, पटना, दिनांकः –24-10- 2018

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

15

D:\year -2014\feb 2015\22-10-2014.docx